राज कुमार पासवान-बनाम राज्य

आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)
केस का प्रकार–आपू० अपील 09/09-10 / 22/2013 राजकुमार पासवान

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	**आदेश** दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से श्री राजकुमार पासवान पे0 स्व0 रामदेव पासवान ग्राम–अलौली, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद सं0 $\frac{09/09-10}{22/13}$ श्री राजकुमार पासवान पे0 स्व0 रामदेव पासवान ग्राम–अलौली, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 154 दिनांक 31.03.2009 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली द्वारा दिनांक 01.03.09 को 12.30 बजे उनके दूकान का निरीक्षण करने पर वे अनुपस्थित थे और दुकान बन्द था। सूचना पट्ट, भंडार मूल्य तालिका का पट्ट नहीं था एवं उसके साथ अन्य आरोप भी लगायी गयी। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 101/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 05.03.2009 से नोटिश निर्गत कर अपीलार्थी से स्पष्टीकरण मांगी गयी। अपीलार्थी द्वारा कारण पृच्छा जमा किया गया। हालांकि उनके द्वारा निर्गत नोटिश अपने–आप में गलत था जिसमें स्पष्टीकरण देने के लिए मात्र 24 घंटा का समय दिया गया था। जबकि सरकार का स्पष्ट निदेश है कि 15 दिनों का समय देना चाहिए था। उनका यह भी कहना है कि कारण पृच्छा में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि कथित तिथि को अपीलार्थी अपनी भगनी की शादी में सपरिवार मदारपूर सहरसा चले गये थे एवं उनके द्वारा किरासन तेल एवं अन्य सामग्री उपभोक्ताओं में वितरित कर दी गयी थी। जिन शिकायतकर्त्ताओं द्वारा शिकायत की बात कही गयी है, उसमें अधिकांश लोग दिल्ली एवं पंजाब में काम करते है। ऐसा लगता है कि उसके बदले दूसरे व्यक्ति द्वारा कथित जांच प्रतिवेदन में हस्ताक्षर का दिया गया है। जबकि उनके सभी उपभोक्ता पूर्णतः संतुष्ट हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा इस बिन्दु पर जाँच नहीं की गयी। जबकि उन्हें जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए था, बल्कि वैधानिक दिमाग लगाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं कर Mechenical Process का सहारा लिया गया। उनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी,	8877717176

खगड़िया द्वारा छः माह का भंडार पंजी एवं बिक्रय पंजी की मांग की गयी थी जिसे अपीलार्थी द्वारा समर्पित किया गया। परंतु उसके संबंध में कोई जांच नहीं करायी गयी। अपीलार्थी के कारण पृच्छा पर कोई सुनवाई नहीं की गयी और अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गय जो आप में गलत साबित हो जाता है एवं रद्द करने योग्य है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2009 (3) पी0एल0जे0आर0 पृष्ट 754 में नियमन प्रतिपादित किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा भंडार पंजी बेक्रय पंजी की मांग की गयी और समर्पित भी किया गया। ऐसी परिस्थिति में उन पर यह वैधानिक बाध्यता थी कि वे उसकी जांच कराते। परंतु वे वैसी नहीं कर आदेश में यह लिखे कि 25 उपभोक्ताओं ने अपना व्यान दिया कि उनका नवम्बर माह का कूपन फाड़ लिया गया है। यदि ऐसी बात होती तो किसी भी उपभोक्ता के द्वारा शिकायत दर्ज किया जाता परंतु वैसी कोई बात नहीं है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया का जांच आवश्यक था। परंतु कोई जांच नहीं कराकर प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन किया गया है। जैसा कि उपरोक्त नियमनों के अलावे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2009 (2) पी0एल0जे0आर0 पृष्ट 513 में भी नियमन प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधित पारित आदेश रद्द योग्य है। उनके द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति सं0 118 ए/2007 के रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध केया गया है।

विशेष लोक अभियोजक ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :—

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली के पत्रांक 56, दिनांक 01.03.2009 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री राजकुमार पासवान, जन वितरण प्रणाली, ग्राम अलौली से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जन वितरण प्रणाली, बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण के साथ विगत छः माह के दुकान से संबंधित भंडार पंजी, बितरण पंजी एवं कैशमेमो की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा भंडार पंजी वितरण पंजी समर्पित की गयी लेकिन कैशमेमो समर्पित नहीं की गयी।

बिक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर ज्ञापांक 117 अनु0 आ0, दिनांक 13.03.2009 के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली से स्थलीय जांचकर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन की मांग की गयी। बिक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुत पंजी के आलोक में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय

लाभार्थियों से पूछताछ एवं लिखित व्यान लिया गया। 10 लाभार्थी द्वारा माह जून 08 तक का कूपन दिखाया गया जिसपर माह जून का खाद्यान उठाव लंबित पाया गया। 25 लाभार्थियों ने व्यान दिया कि उनका नवम्बर माह का कूपन फाड़ लिया गया एवं खाद्यान्न 1–2 बार ही दिया गया। पंजी पर जो विक्रेता द्वारा अंगूली का निशान लिया गया था, जांच के समय उपभोक्ताओं द्वारा बताय गया कि पंजी पर उनलोगों का निशान नहीं है। उपभोक्ताओं के व्यान एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि श्री राजकुमार पासवान, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, ग्राम अलौली द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती गयी है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री राजकुमार पासवान, जन वितरण प्रणाली, ग्राम अलौली द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कहना कि सरकार के निदेशानुसार स्पष्टीकरण हेतु 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए था। जब अपीलार्थी द्वारा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है तो फिर समय की बात कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2009 (2) पी0एल0जे0आर0 पृष्ट 784 एवं 2009 (3) पी0एल0जे0आर0 513 का प्रश्न है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 154/अनु0आपूर्ति, दिनांक 31.03.2009 से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली के प्रतिवेदन तथा अपीलार्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं समर्पित कागजातों के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली द्वारा स्थल पर जाकर जांच की गयी और पायी गयी अनियमितता एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आलोक मे बिहार सार्वजनिक बितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों के तहत श्री राजकुमार पासवान, जन वितरण प्रणाली, ग्राम अलौली के अनुज्ञप्ति संख्या 118 ए/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया, परंतु उनकी लगतार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता श्री राजकुमार पासवान द्वारा बरती गयी अनियमितता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 154/अनु0आपूर्ति, दिनांक 31.03.2009 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता 18/12

समाहर्ता 18/12

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3

डी0 बी0 नं0 45 / विधि, दिनांक 13/8/2017

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

3/8/2017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, खगड़िया।

3/8/17